न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 25/23 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या – 2023/135

उनवान

1. रामदेव } पुत्रगण श्री रतिराम जातियान कंजर निवासीयान ग्राम विलानचट्टपुरा
2. केशव } तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामप्यारी पत्नी श्री रतिराम
2. हरभान
3. अचल सिंह } पिस0 रतिराम } जातियान कंजर निवासी ग्राम विलानचट्टपुरा तह0 उच्चैन जिला भरतपुर।
4. पुष्पेन्द्र

..... असल रेस्पोंडेंट।

5. बनै सिंह पुत्र गंगाकिशन (फौत) } जाति कंजर निवासी ग्राम विलानचट्टपुरा तहसील
6. शिव सिंह पुत्र रतिराम } उच्चैन जिला भरतपुर।
7. हेमवती पुत्री रतिराम पत्नी कैलाश सिंह जाति कंजर निवासी अहीर रैपुरा तहसील किरावली जिला आगरा।
8. कपूरी पुत्री रतिराम पत्नी महेश जाति कंजर निवासी सिकन्दरा तहसील व जिला आगरा।
9. कमलावती पुत्री रतिराम पत्नी जयकुमार जाति कंजर निवासी डौकी तहसील फतेहबाद जिला आगरा।

..... तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन दिनांक 03.11.2020 उनवानी रामप्यारी बनाम बनै सिंह प्र0स0 36/20

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री उदयवीर कंसाना उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।

भू० प्रबन्धक अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

निर्णय दिनांक :–30.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के आदेश दिनांक 03.11.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/असल रैस्पो0 द्वारा मूल वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम विलानचट्टपुरा तहसील उच्चैन में स्थित है। जिसमें प्रार्थी असल रैस्पो0 व अप्रार्थी अपीलाण्ट व तरतीवी रैस्पो0 संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः सम्मिलित रूप से काश्त करने में आये दिन पक्षकारान के मध्य झगडा फसाद हो जाता है। यह है कि अप्रार्थीगण अपीलाण्ट विवादित आराजी में से अच्छी–अच्छी आराजी पर कब्जा करने पर भी उतारू हैं। अतः मूल वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से अप्रार्थी/अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर लिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी अपीलाण्ट ने बनै सिंह से जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की है एवं अपीलाण्ट विवादित आराजी पर क्रय करने की दिनांक से काबिज काश्त हैं। रैस्पो0 का बनै सिंह की आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही वह बनै सिंह के वारिस ही हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने के बाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए की पालना नहीं की गयी है। जबकि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर हो चुके थे। अतः उन्हें दोनों पक्षो को सुनवाई का अवसर देते हुये, प्रकरण का अंतिम निस्तारण करना चाहिये था। इस प्रकार आदेश 39 नियम 3 ए की पालना नहीं करने के कारण अपीलाण्ट के पास अपील प्रस्तुत करने के अलावा कोई आधार नहीं है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील पोषणीय रहती है। मियाद के संबंध में उनका कथन है कि अपीलाण्ट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। अपीलाण्ट न्यायालय हाजा में उपस्थित हो चुके थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित नहीं किया। अतः उन्हें अपील प्रस्तुत करने में देरी हुयी है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया

भू० प्रबन्धक अधिकारी
उदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

है। अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी को क्षमा करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है एवं नियमानुसार अन्तरिम आदेश के विरूद्ध अपील सामान्यतः संधारणीय नहीं होती है। अपीलाण्ट को कोई अपीलाधीन आदेश बाबत् कोई उज्र था तो उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में ही करना चाहिये था। इस प्रकार अपील में आने का कोई औचित्य नहीं है। अपील भी मियाद बाहर है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.01.2022 को उपस्थित हो चुके थे एवं उनके द्वारा अपील दिनांक 23.10.2023 को मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के अंतरिम आदेश दिनांक 03.11.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.11.2020 दिनांक 24.11.20 तक ही प्रभावी है। इस प्रकार उक्त आदेश एक अंतरिम आदेश है ना कि अंतिम आदेश, जो केस डिसाईडेड की श्रेणी में नही आता है। अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय में ही अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध चाराजोही करते, उक्त अवसर का उपयोग किये बिना अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा संभव टालने योग्य है। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.11.2024 उनवानी बिलाल वगै0 बनाम भोपालाराम में मण्डल की वृहदपीठ के निर्णय पैरा संख्या 73 के बिन्दु संख्या 01 एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परिपत्र क्रंमाक 6439 दिनांक 06.08.2024 के पैरा संख्या 04 में उल्लेख है कि अपीलीय न्यायालय आगामी पेशी तक दिये गये विधिसम्मत अंतरिम आदेशो में अनावश्यक और अ–न्यायोचित रूप से हस्तक्षेप किया जाकर परीक्षण न्यायालय के स्थगन आदेशो को अपास्त कर दिया जाता है। इसके कारण परीक्षण न्यायालय के स्तर पर लम्बित मूल वाद में वादग्रस्त भूमि के खुर्द–बुर्द होने व मूल वाद के गुणावगुण अंतिम निर्णय भी प्रभावित होने की संभावना रहती है, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। परन्तु हम अपीलाण्ट की इस आपत्ति पर बल पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायलय में अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 06.01.2022 को उपस्थित होकर जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम निस्तारण ना करते हुये दिनांक 04.08.2023 तक तारीख पेशी ही निर्धारित की जाती रही है, जो न्यायोचित नहीं है। क्योंकि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के अनुसार अप्रार्थी के

भू० प्रबन्धक अधिकारी
उदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

न्यायालय मे उपस्थित होने के पश्चात् अधिकतम एक माह में किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अपने समक्ष लम्बित प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के अनुसार, पक्षकारान के न्यायालय में उपस्थित होने की तिथी से 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। तब तक अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.02.2025 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर